



अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्दा दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 213/2023

1. इन्द्रादेवी पत्नी रणवीर सिंह जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रूकमा देवी पत्नी दलीपचंद जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री वकील सिंह जाति जट सिख साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गीटन सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जट सिख साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. निर्मल सिंह पुत्र वकील सिंह जाति जट सिख साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. बलदेव सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जट सिख साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सुखदेव सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जट सिख साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।


— प्रतिवादीगण

**अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन**

दिनांक :- 09/07/2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप झोरड़ व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक रीडर/2025/523 दिनांक 02.06.2025 के आधार पर निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री की जाती है -

1. **वादिया स. 1 इन्द्रादेवी को प्राप्त भूमि :-** तहसील पीलीबंगा चक 46 एस.एस. डब्ल्यू के खाता स. 130/20 के प.न. 70/322 मु. न. 45 के किला न. 6/0.127 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, 7/.126 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, 8 ता 10 की .759 है कुल 1.0126 हेक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि।
2. **वादिया स. 2 रूकमादेवी को प्राप्त भूमि:-** कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा चक 46 एस. एस.डब्ल्यू के खाता स. 130/20 के प.न. 70/322 मु. न. 45 के किला न. 6/0.126 दक्षिणी

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिशा में पूर्व से पश्चिम, 7/.127 दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम, 11 ता 13 की .758 है. कुल 1.012 है. अनकमाण्ड कृषि भूमि।

तहसीलदार पीलीबंगा उक्तानुसार रकमराज अलग कायम करे शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
महाराज कलक्टर एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा